निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 61/2024
दायरा दिनांकः—24.07.2024
निर्णय दिनांकः—26.3.25

उनवान

1. विमला बाई आयु 45 वर्ष पुत्री धनजी पत्नि शिवलाल जाति चमार निवासी ग्राम मानपुरा हाल निवासी आंचोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कजोड आयु 50 वर्ष पुत्र मनफुल जाति चमार निवासी ग्राम मानपुरा
2. रामचरण उर्फ चिंरोजीलाल आयु 48 वर्ष पुत्र मनफुल जाति चमार निवासी ग्राम मानुपरा
3. दोलीबाई आयु 75 वर्ष पत्नि लाला जाति चमार निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्से तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—26.3.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भंवरसिंह जादौन — प्रार्थी
2. श्री नारायणलाल चौरसिया — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रक भूमि खाता संख्या 5 की खसरा नम्बर 10/3 रकबा 1.0497 है0 भूमि वाके माल मानपुरा तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 स्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जामबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीया की पैत्रक भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हित निहित है। इस कारण प्रार्थीया मुताबिक सजरा उक्त विवादित आराजीयात मे अपने हिस्से 1/3 की खातेदारी घोषणा करवाकर अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। जो अत्यंत आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित प्रार्थीया के पूर्वज प्रेम पुत्र मनफूल के नामान्तरण संख्या 85 वाके माल मानपुरा की भूमि खसरा नम्बर 10 की रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा (सम्वत 2034 2037 में एलोटमेन्ट दिनांक 10/12/1978 को एलोटमेन्ट हुई तथा उसके पश्चात संवत 2038 से 2042 में प्रेम पुत्र मनफूल की लाऔलाद मृत्यु हो जाने के से उनकी लाऔलाद फौत से उनका फौती इन्तकाल उनके परिवारजन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वारिसान एंव कायम मुकामान कजोड़, रामरतन पुत्रगण मनफूल व माता नर्बदीबाई बेवा मनफूल जाति चमार के नाम खुला जो कि उनके जायज वारिसान व कायम मुकामान के नाम खुला परन्तु राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थीया के पिता धनजी का नाम मनफूल के फौती इन्तकाल मे दर्ज होने से रह गया। मूल खातेदार प्रेम प्रार्थीया के पूर्वज प्रेम की लाऔलाद फौत हो जाने के बाद उक्त भूमि कानून स्व० धनजी, कजोड, रामचरण, नर्बदीबाई जो उनके वैध वारिसान व कायम मुकामान जो उस समय जीवित थे के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु अप्रार्थी कम ता 3 द्वारा वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुए अवैध रूप से सरपंच ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियो की मिली भगत से फौती इन्तकाल नम्बर 108 वाके माल मानपुरा स्वर्गीय प्रेम का जिसमे प्रार्थीया के पिता स्वर्गीय धनजी के नाम को छीपाते हुये मृतक खातेदार प्रेम पुत्र मनफूल की समस्त आराजी छल कपट बेईमानी विधि विरूद्ध गलत तरीके से वास्तविकता को छुपाते हुये वादिया के हिस्से की मुल्जिमान भूमि को हड़पने व अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए फौती इन्तकाल अपने नाम खुलवा लिया इसलिए इन्तकाल संख्या 108 वाके माल मानपुरा दिनांक 27/04/1984 खिलाफ कानून होने से स्वतः निरस्तनीय है। अप्रार्थीया कम 3 दोलीबाई जो कि प्रार्थीया के दादा एंव अप्रार्थी कम 1 ता 2 के भाई प्रेम के प्रथम पत्नि के फौत हो जाने पर उन्होने नर्बदीबाई से नाता विवाह किया था। दोलीबाई नर्बदीबाई के साथ गेलड़ आई थी। जो मृतक प्रेम की जायज वारिस नही होने के कारण उनकी सम्पत्ति को विरासत से प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी नही है। तथा उसने नर्वदीबाई के फौत हो जाने के पश्चात फौती इन्तकाल 340 दिनांक 5/02/2013 में अपने नाम दर्ज करा लिया। इन्तकाल संख्या 340 वाके माल मानपुरा खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय होने योग्य है। प्रार्थीया के पिता धनजी का गत 8–10 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है जिनके प्रार्थीया ही एक मात्र जायज वारिसान एंव कायम मुकामान है। प्रार्थीया के अलावा उनके अन्य कोई जायज वारिसान एव कायम मुकामान नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि मे प्रार्थीया तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 2 के मध्य मौके पर पारिवारिक बंटवारा हो रहा है जिसके अनुसार सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को मुनाफे काश्त पर दे रखी थी तथा वह हर वर्ष प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि का मुनाफा राशि दे दिया करते थे तथा गत वर्ष से ही अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के मन बदयान्ति आ गई तथा उन्होने प्रार्थीया को उसके हिस्से की मुनाफा राशि देने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीया के हिस्से की भूमि की मेडे तोड़कर अपने हिस्से की भूमि में मिला लिया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने प्रार्थीया की पूर्वजो की भूमि खसरा संख्या 131/1 की रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 146/1 की रकबा 19 बिस्वा दिनांक 02/12/2024 को छीतरलाल पुत्र लाला निवासी रूपारेल व खसरा संख्या 131 की रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 146 की रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का बेचान दिनांक 02/12/2024 को गुलाबबाई पत्नि मिश्रीलाल भंवरीबाई पत्नि रंगलाल, जानकीबाई पत्नि द्वारकीलाल व भूमि खसरा संख्या 145/1 की रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, का बेचान दिनांक 02/12/2024 को गुलाबबाई पत्नि मिश्रीलाल, भंवरीबाई पत्नि रंगलाल जानकीबाई पत्नि द्वारकीलाल को किया जा चुका है तथा शेष बची भूमि का बेचान मुकेश पत्नि सियाबाई को किया जा चुका है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 5 नकल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मानपुरा सम्वत् 2059–62 खाता संख्या 18 नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2059–62 खाता संख्या 66 नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 5 नकल नामान्तरण 108 दिनांक 22.07.1984 ग्राम मानपुरा नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2038–41 खाता संख्या 68 नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2034–37 खाता संख्या 1 पेश कि गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके मानपुरा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रक आराजी है जिसमें प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हित निहित है इसलिए प्रार्थीया अपना 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है विवादित आराजी दिनांक 10.12.1978 को प्रेम पुत्र मनफुल को एलोटमेन्ट हुई थी प्रेम पुत्र मनफुल सम्वत् 2038–42 में लाऔलाद फोत हो गये थे फोती नामान्तरण उनके वारिसान कजोड, रामरतन, पुत्र मनफुल व माता नर्बदी बाई बेवा मनफुल के नाम खुला। परन्तु सहवन से प्रार्थीया के पिता धनजी का नाम मनफुल के फोती नातान्तरण में दर्ज होने से रह गया। प्रेम का फोती नामान्तरण संख्या 108 खोलतें समय प्रार्थीया के पिता स्व धनजी के नाम को छुपातें हुए फोती नामान्तरण अपने नाम खुलवा लिया। प्रेम की पत्नि फोत हो जाने के बाद प्रेम ने नर्बदी बाई से नाता विाह किया था। दोली बाई नर्बदी बाई के साथ गेलन आई थी। जो मृतक प्रेम की जायज वारिस नही है जो सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है नर्बदी के फोत होने पर फोती नामान्तरण नम्बर 340 दिनांक 15.02.2013 अपने नाम दर्ज कर लिया नामान्तरण नम्बर 340 खिलाफ कानून से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि धनजी के टी.बी. की बीमारी होने के कारण धनजी की पत्नि सोशल बाई धनजी को छोडकर गोविन्दपुरा मध्यप्रदेश गुना जिले में नारायण के नाते चली गई है सोशल बाई के नाते जाने के बाद नारायण से सोशल बाई के प्रार्थीया विमला बाई पैदा हुई। प्रार्थीया का वास्तविक पिता नारायण है। विमला बाई का विवाह शिवलाल के साथ हुआ जो आंचोली में निवास कर रही है उक्त विवादित आराजी का प्रार्थीया से कोई लेना देना नही है फोती नामान्तरण संख्या 108 खुला उस समय धनजी की मृत्यु टी.बी की बीमारी से हो चुकी थी। सोशल बाई धनजी के जीवनकाल में ही नारायण के नाते चली गई थी। नारायण से प्रार्थीया को जन्म हुआ दोली बाई नर्बदी बाई के साथ गेलड आई थी नर्बदी बाई का फोती नामान्तरण 340 खुला उसमें दोली बाई के नाम से नामान्तरण खोल दिया जो गलत खुला नामान्तरण संख्या 340 निरस्तनीय है। भूमि पर प्रार्थीया का कभी कब्जा नही रहा प्रार्थीया धनजी की वैध वारिस नही है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मानुपरा तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 5 में कजोड, दोली बाई, रामचरण,का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2038–41 खाता संख्या 6 में प्रेम पुत्र मनफुल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जाति चमार वास गांव एलोटमेन्ट दिनांक 1.12.1978 नामान्तरण संख्या 85 दर्ज है नकल नमान्तरण संख्या 108 दिनांक 22.07.1984 ग्राम मानपुरा में मुताबिक सजरा प्रेम फोत कजोड,रामचरण, नर्बदी माता के नाम दर्ज होना पाया जाता है। प्रार्थिया द्वारा लगभग 40 वर्ष बाद नामांतरण खारिज करने का दावा किया गया है। प्रार्थिया के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों/दस्तावेजों के आधार पर होगा। इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में नहीं होने से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाना उचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा